**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 843**

**दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**कंपनियों की अधिग्रहण उपरान्त (एफडीआई) गतिविधियों की निगरानी करने हेतु तंत्र**

**843. डा. प्रभाकर कोरे:**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कंपनी की अधिग्रहण उपरान्त (एफडीआई) गतिविधियों की निगरानी करने के लिे कोई तंत्र या प्रणाली नहीं है;

(ख) क्या सरकार देश में मौजूदा औषधीय सुविधाओं का अधिग्रहण करने के लिए बहुराष्ट्रीय फर्मों हेतु विदेशी निवेश के कड़े मापदंड बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो कंपनी की अधिग्रहण उपरांत गतिविधियों की निगरानी हेतु प्रस्तावित प्रारूप औषध नीति के ब्यौरे क्या हैं?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; जहाजरानी मंत्रालय और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया)**

(क): एफडीआई प्राप्त करने वाली कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित प्रतिवेदन अपेक्षाओं को पूरा करना होता है। इसके अलावा, सरकार द्वारा अनुमोदित पहले के प्रकरणों सहित, एफडीआई अनुमोदन की शर्तों की अनुपालना की निगरानी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों द्वारा की जाएगी।

(ख): औषध क्षेत्र की मौजूदा एफडीआई नीति की समीक्षा करने का कोई प्रावधान सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग): मसौदा औषध नीति में अनुमोदन की शर्तों की अनुपालना की निगरानी करने की एक प्रणाली की परिकल्पना है और अधिग्रहण पश्चात् गतिविधियों की निगरानी विभाग द्वारा की जा रही है।

\*\*\*\*\*